

कार्यालयः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या — 01 / योव० (10) 2014 — ०।

रांची—2, दिनांक—०१/१/१९

वन विभागीय अधिसूचना संख्या स०स०—४/यो० बजट—४२/२०१०—२३७१ व०प०, दिनांक ०५.०५.२०१५ द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया है जिसकी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक १४.१२.२०१८ को बैठक आयोजित की गई।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना के अंतर्गत ग्राम वन प्रबंधन समितियों को औषधीय पौधों के संग्रहण, सुखाने एवं भंडारण हेतु आधारभूत संरचना विकसीत करने हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। इस योजना के अंतर्गत उपयोग हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय वन विभागीय पत्रांक ९४० दिनांक १६.०३.१९९२ द्वारा गठित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक की समिति द्वारा न्यूनतम दर/GIM की दर (दोनों में जो भी कम हो) पर किया जायेगा। सामग्री के क्रय के पश्चात् बची हुई राशि समिति के लेखा में जमा कराई जायेगी जिसके लिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा कार्य की रूप-रेखा तय की जायेगी।

वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना के अन्तर्गत ग्राम वन प्रबंधन समितियों को औषधीय पौधों के संग्रहण, सुखाने एवं भंडारण हेतु कार्य दर :-

क्र० सं०	कार्य विवरणी	व्यय की जाने वाली/ प्राक्कलित राशि (र० मे)	अम्युक्ति
१	औषधीय पौधों के भंडारण हेतु १५'x१३' तथा १३'x१०' के दो कमरों एवं १५'x८' के एक बसामदा के निर्माण पर व्यय	५,४६,२५०.००	प्राक्कलन संलग्न
२	एक Washroom के निर्माण पर व्यय	१,५५,१७५.००	—वही—
३	Soak-pit with extended drain के निर्माण पर व्यय	१७,५९२.००	—वही—
४	डीप बोरिंग एवं Submersible Pump (सभी उपस्करों सहित)	१,५७,२२४.००	—वही—
५	Generator set (५ KVA) के क्रय एवं Installation पर व्यय	२,५०,७५०.००	—वही—
६	औषधीय पौधों के सुखाने हेतु उपस्कर का क्रय	१,५०,०००.००	सामग्री एवं आपूर्ति मद
७	चबूतरा का निर्माण	५०,०००.००	—वही—
८	औषधीय पौधों के संग्रहण, सुखाने एवं भंडारण के हथलन का कार्य प्रारंभ करने हेतु समिति को Seed money	१,७०,०००.००	पारिश्रमिक मद
९	आकस्मिक व्यय	३,०००.००	
कुल —		१४,९९,९९१.००	
अथवा —		१५,००,०००.००	

समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष २०१८—१९ के लिए लागू होंगे एवं इसके अंगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।


४०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
10. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची